

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-03/2018 8979

पटना, दिनांक- 5/12/19

निबंधित/  
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में विभाग अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा कुल-3284 मार्गों एवं अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019 द्वारा कुल-377 मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मार्गों की अधिसूचना के क्रम में अधिसूचना हेतु आपके द्वारा भेजी गयी अनुशंसा में मार्गों की दूरी अंकित नहीं था। ऑनलाइन परमिट की कार्रवाई हेतु अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की दूरी की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त दोनों अधिसूचना द्वारा अधिसूचित वैसे मार्गों जो आपके प्राधिकार से संबंधित है अथवा जिसपर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गमन किया जाता है, की दूरी उपलब्ध कराया जाय, ताकि ऑनलाइन परमिट की कार्रवाई पूर्ण हो सके।

उक्त प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी सहित) में भेजी जाय:-

मार्ग का नाम	भाया का नाम	मार्ग की दूरी	मार्ग की अधिसूचना संख्या (अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 अथवा अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019)	अधिसूचना में अंकित मार्ग की क्रम संख्या

यदि आपके द्वारा निर्धारित अवधि में अनुशंसा प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही आप पर होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,



उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-03/2018 8979

पटना, दिनांक- 5/12/19

निबंधित/  
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में विभाग अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 द्वारा कुल-3284 मार्गों एवं अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019 द्वारा कुल-377 मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

मार्गों की अधिसूचना के क्रम में अधिसूचना हेतु आपके द्वारा भेजी गयी अनुशंसा में मार्गों की दूरी अंकित नहीं था। ऑनलाइन परमिट की कार्रवाई हेतु अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों की दूरी की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त दोनों अधिसूचना द्वारा अधिसूचित वैसे मार्गों जो आपके प्राधिकार से संबंधित है अथवा जिसपर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गमन किया जाता है, की दूरी उपलब्ध कराया जाय, ताकि ऑनलाइन परमिट की कार्रवाई पूर्ण हो सके।

उक्त प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी सहित) में भेजी जाय:-

मार्ग का नाम	भाया का नाम	मार्ग की दूरी	मार्ग की अधिसूचना संख्या (अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 अथवा अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019)	अधिसूचना में अंकित मार्ग की क्रम संख्या

यदि आपके द्वारा निर्धारित अवधि में अनुशंसा प्राप्त नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही आप पर होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8979

पटना, दिनांक-

5/12/19

प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आईटी0 मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।